5. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)
6. आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)
7. सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)
8. पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, पीपराकोठी, मोतिहारी, (पूर्वी चंपारण)
9. कोई अन्य महाविद्यालय जो भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये जाएँ

2. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित शोध संस्थान हैं -
 1. गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर)
 2. पशु उत्पादन एवं शोध संस्थान, पूसा (समस्तीपुर)
 3. क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, माधोपुर (पश्चिम चंपारण)
 4. केला अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)
 5. अनुसंधान उपकेन्द्र, झंझारपुर (मधुबनी)
 6. अनुसंधान उपकेन्द्र, बिरौल (दरभंगा)
 7. कोई अन्य संस्थान जो भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये जाएँ
3. कृषि और सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय/अनुसंधान संस्थानों का अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी निर्धारित क्षेत्रों जैसा की बताया गया है, तक विस्तारित होगी।
4. महाविद्यालय/संस्थान, प्रक्षेत्र प्रसार कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु कृषि और सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों तथा अन्य अनुसंधान और प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना, विकास और संचालन तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे ।
5. सभी अनुसंधान और प्रायोगिक केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा कृषि और सम्बद्ध विज्ञान से संबंधित अन्य संस्थान पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के लिए संबंधित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय की प्रशासनिक उप-इकाइयाँ होंगी।
6. प्रत्येक महाविद्यालय की अध्यक्षता एक अधिष्ठाता करेंगे जो महाविद्यालय और उसकी अधीनस्थ इकाइयों के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे ।
7. प्रत्येक अनुसंधान संस्थान/केन्द्र की अध्यक्षता, एक निदेशक/मुख्य वैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा जो संस्थानों के साथ-साथ उसकी इकाइयों में अनुसंधान, प्रसार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।
8. महाविद्यालय के अधिष्ठाता कुलपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता, महाविद्यालयों/संस्थानों के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में अंतर-विषयी कार्यक्रमों के बारे में, जैसा भी मामला हो, निदेशक शिक्षा, निदेशक अनुसंधान और निदेशक प्रसार शिक्षा के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 412/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the management of colleges and institutions established by the University in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa vide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (o) of Section 28(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 of (32 of 2016) the provision of the management of colleges and institutions established by the University of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa has been prescribed as follows:

1. The following colleges and Institutions shall be the constituent units of the University;
 (1) Post-Graduate College of Agriculture, Pusa (Samastipur)
 (2) School of Agri-Business and Rural Management, Pusa (Samastipur)

(3) Tirhut College of Agriculture, Dholi (Muzaffarpur)

(4) College of Fisheries, Dholi (Muzaffarpur)

(5) College of Agricultural Engineering & Technology, Pusa (Samastipur)

(6) College of Basic Sciences & Humanities, Pusa (Samastipur)

(7) College of Community Science, Pusa (Samastipur)

(8) PanditDeendayal Upadhyay College of Horticulture & Forestry, Piprakothi, Motihari (East Champaran)

(9) Any other College that may be established by the University in future.

2. The following Research Institutes established by the University:

(1) Sugarcane Research Institute, Pusa (Samastipur)

(2) Animal Production Research Institute, Pusa (Samastipur)

(3) Regional Research Station, Madhopur (West Champaran)

(4) Banana Research Institute, Hajipur (Vaishali)

(5) Research Sub-Station, Jhanjharpur (Madhubani)

(6) Research Sub-Station, Biraul (Darbhanga)

(7) Any other Institute that may bc established by the University in future.

3. With respect to teaching, research and extension education in the field of Agriculture and Allied Sciences, the jurisdiction and responsibility of the College/Research Institutes shall extend to the areas as prescribed.

4. The College/lnstitution shall be responsible for maintenance of training centre for Agriculture and allied sciences and such other research and experimental stations for the programme of training of field extension workers and in the establishment, development and operation of Agriculture and Allied Sciences.

5. All Research and Experimental Stations, KVKs and Training Centers or other Institutions relating to Agriculture and Allied Sciences shall be administrative sub-units of the respective College/Institutions/Faculty under its full management and control.

6. Each College shall be headed by a Dean who shall be responsible for the conduct of teaching, research and extension education programme of the College and its subordinate units.

7. Each Research Institute/Stations shall be headed by a Director/Chief Scientist who shall be responsible for the management of research, extension education and training programme of the Institutions as well as units.

8. The Dean of the College shall be responsible to the Vice-Chancellor. The Dean of the Colleges concerned will co-ordinate with the Director Education, Director Research and Director Extension Education as the case may be, about inter-disciplinary programmes with respect to teaching, research and extension education and training programmes of the College/lnstitutes.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 413**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.**—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में महिला छात्राओं के विशेष व्यवस्था के संबंध में, यदि कोई हो तो, जो महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में उनके अध्ययन हेतु विहित विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित करने से संबंधित विषयों पर पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (i) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो तो, जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के महिला छात्राओं के निवास, विषय और शिक्षण एवं उनके अध्ययन हेतु विशेष पाठ्यक्रम निर्धारण की शर्तों को, जैसा की उपरोक्त विदित है, को निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ :-